

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. चांदी पुत्री स्व0 सुखा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा, तह0 एवं जिला, भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. छाउ पत्नी सुखा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद बाबत विभाजन
आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 02/2022 राजस्व वाद

वादीया स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल जाट उपस्थित नहीं- इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीया एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

5/12/24
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा